

## शब्दावली

<b>वार्षिक वित्तीय विवरण</b>	संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय के विवरणों को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखवाएगा, जिसे “वार्षिक वित्तीय विवरण” माना जाता है।  प्राप्ति तथा संवितरणों को तीन भागों के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है अर्थात् (i) संचित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखा
<b>बजट नजर में</b>	<b>एक</b> यह दस्तावेज संक्षेप में, प्राप्तियों तथा संवितरणों के साथ-साथ कर राजस्वों के विस्तृत विवरण तथा योजना तथा गैर-योजना-व्यय को शामिल करते हुए अन्य प्राप्तियों के ब्यौरे, मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ सेक्टरों द्वारा योजना परिव्यय का आवंटन तथा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य और संघ शासित सरकारों को हस्तांतरित संसाधनों का विवरण दर्शाता है।
<b>पूँजीगत व्यय</b>	पूँजीगत प्रकृति के व्यय को विस्तृत रूप से ऐसे व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो या तो वस्तु के मूल्य परिसंपत्ति में वृद्धि करे एवं स्थायी प्रकृति का हो या आवर्ती देयताओं में कमी करे।
<b>पूँजीगत प्राप्ति</b>	पूँजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा लिए गए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार तथा विदेशी सरकारों/संस्थाओं से लिया गया ऋण शामिल है। यह सरकार द्वारा ऋण अग्रिमों की वसूली तथा सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री पीएसयू में सरकारी अंश के विनिवेश से प्राप्ति को शामिल करता है।
<b>भारत की संचित निधि (सीएफआई)</b>	संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल के द्वारा उठाये गये सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त धन संचित निधि का निर्माण “भारत की संचित निधि” शीर्षक से करेगा।

<b>प्रभावी राजस्व घाटा</b>	प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटा तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के मध्य का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय (राजस्व लेखे पर) तथा राजस्व प्राप्ति में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान को घटाकर जिसे राजस्व व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है, के अंतर के रूप में व्याख्यापित किया जाता है।
<b>बाह्य ऋण</b>	सरकार द्वारा, अधिकांशतः विदेशी मुद्रा में विदेशी सरकारों तथा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से किए गए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण समझौते।
<b>वित्त लेखे</b>	वित्त लेखे प्राप्ति के लेखे तथा संवितरणों के साथ वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करते हैं जो राजस्व तथा पूंजीगत लेखे, लोक ऋण लेखे तथा लेखे में अभिलेखित शेषों से परिकल्पित देयताओं तथा परिसंपत्तियों द्वारा प्रकट होते हैं।
<b>वित्त विधेयक</b>	वित्त विधेयक एक धन विधेयक है जो संविधान के अनुच्छेद 110(1)(अ) के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रस्तुत होता है, जो अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में प्रस्तावित करों को लगाने, समाप्त करने, छूट, परिवर्तन या विनियमन के विवरण से संबंधित होता है। एक बार वित्त विधेयक संसद के दोनो सदनों से पास हो जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा सहमति दे दी जाती है, वित्त अधिनियम बन जाता है।
<b>राजकोषीय घाटा</b>	एक वित्तीय वर्ष के दौरान, निधि में कुल प्राप्तियों पर ऋणों के पुनर्भुगतान को छोड़कर ऋण प्राप्तियों को छोड़कर भारत की संचित निधि से कुल संवितरणों का आधिक्य।
<b>राजकोषीय नीति</b>	सरकार की राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व को बढ़ाने, सरकारी व्यय करने, वित्तीय तथा संसाधन प्रबंधन उत्तरदायित्व कितना अच्छी तरह से संचालित हो रहा है, को सुनिश्चित करने से संबंधित है।

<b>सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी)</b>	सकल घरेलु उत्पाद, निश्चित अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्यतया वार्षिक आधार पर परिकल्पित मौद्रिक मूल्य है। यह सभी निजी तथा सरकारी उपयोग, सरकारी परिव्यय, निवेश तथा एक परिभाषित क्षेत्र में निर्यात से आपात को घटाकर शामिल करता है।
<b>गारंटियाँ</b>	संविधान का अनुच्छेद 292 संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार करता है कि वह ऐसी सीमाओं के अंदर भारत की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दे, यदि कोई हो, जिसे संसद द्वारा निश्चित किया जा सकेगा।
<b>आंतरिक ऋण</b>	आंतरिक ऋण में भारत में लिए गए ऋण शामिल होते हैं। यह सीमित है कि लिए गए ऋण भारत की संचित निधि में क्रेडिट होंगे।
<b>ऋण अग्रिम</b>	इसमें संघ सरकार द्वारा राज्य तथा यू टी सरकारों, विदेशी सरकारों, लोक क्षेत्र उपकर्मा सरकारी सेवकों आदि को दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।
<b>लोक लेखा</b>	संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत सरकार अथवा उसकी और से प्राप्त सभी धन, उसको छोड़कर जिसे संचित निधि में शामिल किया गया है, को लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है। इन धनों के संबंध में सरकार बैंकर की तरह कार्य करती है।
<b>लोक ऋण</b>	सरकार द्वारा आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से लिया गया ऋण जिसे भारत की संचित निधि में गृहण किया जाता है को लोक ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है।
<b>राजस्व घाटा</b>	राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय का आधिक्य।
<b>राजस्व व्यय</b>	अनुसंधान, मरम्मत, देखभाल तथा संचालन खर्चों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों को चालू हालत में बनाये रखने के लिए आवश्यक है तथा संगठन को चलाने के लिए दिन प्रति दिन के खर्च भी स्थापना तथा प्रशासनिक व्ययों को शामिल करते हुए को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य/यूटी सरकार तथा अन्य संस्थाओं को

दिए गए अनुदान राजस्व व्यय के रूप में माने जाते हैं, भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन के लिए हों।

**राजस्व  
प्राप्तियां**

इनमें सरकार द्वारा लगाए गए करों एवं चुंगियों, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश, सरकार द्वारा दी गई सेवाओं के लिए शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।